डेरी विकास विभाग द्वारा राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले "आंचल दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र" स्थापना एवं उपलब्ध कराई गयी आवश्यक धनराशि की वापसी के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया–

1. राज्य अन्तर्गत स्थापित किया जाने वाला प्रत्येक आंचल दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र पूर्व से गठित एवं कार्यरत किसी न किसी दुग्ध सहकारी समिति से सम्बद्ध रहेगा किन्तु सेवा केन्द्र को उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि, उसके द्वारा किये जाने वाले व्यापार आदि के रख–रखाव के लिये अलग से एक बैंक खाता खोलना अनिवार्य होगा तथा ततसम्बन्धी अभिलेख दुग्ध समिति के अभिलेखों से पृथक रखे जायेगे। बैंक खाते का संचालन दुग्ध समिति पर्यवेक्षक तथा सचिव के सुयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।
2. आंचल दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र की स्थापना किये जाने के लिये दुग्ध समिति तत्सम्बध में एक प्रस्ताव पारित करेगी जिसमें आवश्यक धनराशि की मांग के अनुरोध के साथ–साथ सम्बद्ध सेवा केन्द्र के उत्तरदायित्वों के सम्बन्ध में आश्वासन प्रदान किया जायेगा।
3. स्थापित होने वाले सेवा केन्द्र को एक लाख के गुणांक में परियोजना द्वारा 08 वर्षों के लिये वित्त पोषण किया जायेगा। सेवा केन्द्र पर पशु आहार, साईलेज, भूसा भेली, मिनरल मिक्सचर, चाटन भेली, सामान्य पशु औषधियां, कृत्रिम गर्भाधान आदि तकनीकि सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी। उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं/अव्यवों की उपलब्धता के श्रोत से परियोजना कार्यालय द्वारा अवगत कराया जायेगा तथा मांग के अनुसार अव्यवों के आपूर्ति आदेश सम्बन्धितों को परियोजना कार्यालय से प्रेषित किये जायेगे।
4. दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र से जुडे दुग्ध उत्पादकों द्वारा उत्पादित दूध सम्बन्धित दुग्ध सहकारी समिति को आपूर्ति किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे उत्पादक जो दुग्ध समिति के सदस्य होगे तथा दुग्ध आपूर्ति नही करेगें को सेवा केन्द्र पर उपलब्ध सुविधाएं प्रदान नही की जायेगी किन्तु नगद भुगतान पर सुविधाए प्रदान किये जाने का अधिकार सेवा केन्द्र प्रभारी को होगा।
5. सेवा केन्द्र का निरीक्षण तथा अभिलेखों की जांच परियोजना निदेशक, डेरी द्वारा नामित कार्मिक द्वारा कभी भी की जा सकती है।
6. दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र पर कार्यवाही निम्न चरणों में होगी–
   - सेवा केन्द्र पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा की जायेगी।
   - सेवा केन्द्र से जुडे उत्पादक सम्बन्धित दुग्ध समिति को अनिवार्य रूप से दूध उपलब्ध करायेगे।
   - दुग्ध समिति दूध की आपूर्ति दुग्ध संघ को करेगी।

- दुग्ध संघ दुग्ध बिल में से मासिक किस्त की कटौती कर परियोजना निदेशक कार्यालय को तथा शेष धनराशि दुग्ध समिति को भुगतान करेगा।
- सेवा केन्द्र दुग्ध उत्पादकों को उपलब्ध कराई गयी सुविधाओं का बिल विवरण सहित दुग्ध समिति तथा परियोजना निदेशक कार्यालय को उपलब्ध करायेगा।
- दुग्ध समिति सेवा केन्द्र के बिल के आधार पर धनराशि सेवा केन्द्र के बैक खाते में हस्तान्तरित करेगी, शेष का भुगतान सम्बन्धित दुग्ध उत्पादक को होगा।
- सेवा केन्द्र द्वारा दुग्ध समिति से प्राप्त धनराशि से केन्द्र पर प्राप्त सामग्री का भुगतान आपूर्तिकर्ता को करते हुए सूचना परियोजना निदेशक कार्यालय को प्रेषित करेगा।
- सेवा केन्द्र को ऋण के सापेक्ष निर्धारित मासिक किस्त कटौती उपरान्त प्राप्त लाभ में से 40 प्रतिशत सेवा केन्द्र प्रभारी को मानदेय भुगतान तथा शेष 60 प्रतिशत मे से भवन किराया एवं अन्य व्यय के उपरान्त शेष केन्द्र के खाते में रक्षित रहेगा, जिसका उपयोग कार्यशील पूॅजी के रूप में किया जायेगा।

अनुबन्ध प्रपत्र

डेरी विकास विभाग, अन्तर्गत, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, द्वारा वित्त पोषित
''राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना''
दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र स्थापना के लिये ऋण धनराशि हेतु त्रिपक्षीय अनुबन्ध
(दुग्ध सहकारी समिति, दुग्ध सहकारी संघ व परियोजना निदेशक, डेरी के मध्य)
(रू 100/– के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर)

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्त पोषित एवं राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के डेरी क्षेत्रक अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति.. में आंचल दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र की स्थापना के लिये परियोजना निदेशक, (डेरी), राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋण की राशि, आंचल दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र को हस्तान्तरित करने तथा धनराशि की वापसी के लिये एक त्रिपक्षीय अनुबन्ध दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति...................................द्वारा दुग्ध समिति सचिव श्री... (प्रथम पक्ष), प्रबन्धक/प्रधान प्रबन्धक, दुग्ध संघ.. (द्वितीय पक्ष) तथा परियोजना निदेशक (डेरी क्षेत्र), राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना (तृतीय पक्ष) के मध्य आज दिनांक ....को सम्पन्न हुआ। अनुबन्ध की शर्तें निम्नवत् तय पाई गयी, तय की गयी शर्तों पर तीनो पक्ष सहमत रहे–

1 प्रथम पक्ष द्वारा दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र की स्थापना हेतु प्रबन्ध कमेटी की बैठक में पारित प्रस्ताव जिसे द्वितीय पक्ष द्वारा अपनी संस्तुति उपरान्त तृतीय पक्ष को उपलब्ध करायेगा।

2 तृतीय पक्ष द्वारा दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार रू0.................................का ऋण दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र के लिये स्वीकृत किया गया।

3 तृतीय पक्ष द्वारा स्वीकृत ऋण के सापेक्ष रू0....................................की राशि दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र के बैंक खाता संख्या...बैंक शाखा... में हस्तान्तरित की जायेगी।

4 दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र का संचालन श्री....................................पुत्र श्री...ग्राम...... ....विकास खण्ड...तहसील............................जनपद............... .... द्वारा किया जायेगा।

5 तृतीय पक्ष को प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार बैंक खाते का संचालन दुग्ध सहकारी समिति.............................. ......के पर्यवेक्षक श्री.......................................पुत्र श्री.. तथा सचिव श्री..................... ...., पुत्र श्री.. दुग्ध समिति .... के सुयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा किया जायेगा जिसमे किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना तत्काल तृतीय पक्ष के साथ–साथ द्वितीय पक्ष को उपलब्ध कराई जायेगी जिसमें सन्दर्भित पतों पर यदि व्यक्ति का परिवर्तन होता हो, भी सम्मिलित होगा तथा सेवा केन्द्र के अभिलेख दुग्ध समिति के अभिलेखों से पृथक रखे जायेगे।

6 दुग्ध सहकारी समिति द्वारा दुग्ध संघ को आपूर्ति किये गये दूध/दुग्ध पदार्थ के मूल्य का भुगतान निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से किया जायेगा ताकि दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र से दुग्ध उत्पादकों द्वारा प्राप्त सुविधाओं का मूल्य नियमित रूप से वसूल किया जाता रहे।

7 दुग्ध उत्पादकों द्वारा, दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र से प्राप्त की गयी सुविधाओं/सामग्री के मूल्य की वसूली का पूर्ण उत्तरदायित्व सचिव दुग्ध सहकारी समिति ....का होगा। वसूली उपरान्त धनराशि दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र के पृथक बैंक खाते मे जमा की जायेगी।

8 दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र पर, परियोजना कार्यालय, डेरी द्वारा सुझाई गयी सामग्री का पर्याप्त स्टाक बनाये रखने के लिये सूचीबद्ध फर्म से सामग्री मगाये जाने के लिये क्रयादेश व क्रयादेश के सोपक्ष फर्म को भुगतान करने का उत्तरदायित्व दुग्ध सहकारी समिति का होगा।

9 प्रथम पक्ष को दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र स्थापना के लिये वित्त पोषित धनराशि पर 10.55 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज (जिसमें 09.15 प्रतिशत एन0सी0डी0सी0 एवं 01.40 प्रतिशत परियोजना कार्यालय, डेरी) चार्ज किया जायेगा, जिसकी वापसी 08 वर्षों (96 माह) में प्रथम पक्ष द्वारा मासिक किस्त के रूप में तृतीय पक्ष को की जायेगी।

10 प्रथम पक्ष अन्तर्गत स्थापित होने वाले सेवा केन्द्र के पर्यवेक्षण, प्रबन्धन एवं आपरेशन इत्यादि के कार्य हेतु वित्त पोषित धनराशि पर 0.50 प्रतिशत अर्थात प्रति रू0 एक लाख ऋण पर रू0 500.00 प्रतिमाह चार्ज किया जायेगा। उक्त चार्ज को सम्मिलित करते हुए तृतीय पक्ष द्वारा मासिक किस्त निर्धारित की जायेगी जिसकी कटौती द्वितीय पक्ष (दुग्ध संघ) द्वारा प्रतिमाह, प्रथम पक्ष (दुग्ध समिति) के दुग्ध बिलों से करते हुए तृतीय पक्ष (परियोजना निदेशक, डेरी, राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना) के सुझाये गये वर्चुअल खाते में जमा कराई जायेगी।

11 प्रथम पक्ष से निर्धारित मासिक किस्त कटौती उपरान्त प्राप्त लाभ में से 40 प्रतिशत सेवा केन्द्र संचालक/प्रभारी को मानदेय भुगतान तथा अवशेष 60 प्रतिशत मे से भवन किराया एवं अन्य व्यय के उपरान्त शेष धनराशि सेवा केन्द्र के खाते में रक्षित रहेगी, जिसका उपयोग कार्यशील पूँजी के रूप में किया जायेगा।

12 दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र पर यदि कोई हानि होती है तो बिन्दु संख्या–11 में प्रदर्शित लाभ वितरण, सेवा केन्द्र पर हुई हानि के समतूल्य धनराशि की पूर्ति उपरान्त किया जायेगा।

13 यदि उक्त अनुबन्ध में कोई भी विवाद उत्पन्न, होता है तो विवादों का निपटारा उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 एवं संगत नियमावली 2004 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा तथा निर्णय अंतिम व समस्त पक्षों को मान्य होगा।

पक्षगणों ने लिख दिया है, ताकि सनद रहें और वक्त पर काम आये।

प्रथम पक्ष/	द्वितीय पक्ष/	तृतीय पक्ष/
सचिव दु0उ0सह0	प्रबन्धक/प्रधान प्रबन्धक	परियोजना निदेशक, डेरी
समिति लि0	दु0उ0सह0संघ लि0	राज्य समे0सह0वि0परि0

दिनांकः–

गवाहान का हस्ताक्षर एवं नाम व पता का विवरण

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)	हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)
1. नाम..	2. नाम..
पिता का नाम..	पिता का नाम......................................
वोटर आई0डी0 कार्ड0/	वोटर आई0डी0 कार्ड0/
आधार कार्ड संख्या–....................................	अधार कार्ड संख्या–............................
पता...	पता...

हस्ताक्षर (तृतीय पक्ष)

3. नाम..
पिता का नाम..
वोटर आई0डी0 कार्ड0/
आधार कार्ड संख्या–....................................
पता...

सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रबन्ध समिति बैठक

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0...............................जनपद...................

बैठक का स्थान.. दिनांक–.............................. समय–..............................

उपस्थिति–

————————————

प्रस्ताव	विचार
प्रस्ताव संख्या–........ एन0सी0डी0सी0 योजनान्तर्गत दुग्ध समिति में आंचल दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र की स्थापना हेतु ऋण के सम्बन्ध में बैठक में उपस्थितों को जानकारी प्रदान किये जाने पर विचार।	–बैठक मे उपस्थित समिति पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में डेरी क्षेत्र के विकास हेतु एन0सी0डी0सी0 योजनान्तर्गत दुग्ध सहकारी समिति से सम्बद्ध एक आंचल दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र की स्थापना किये जाने के लिये वित्त पोषण किये जाने का प्राविधान किया गया है। स्थापित किये जाने वाले दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को पशु आहार, साईलेज, भूसा भेली, मिनरल मिक्सचर, चाटन भेली, सामान्य पशु औषधियां, कृत्रिम गर्भाधान आदि तकनीकि सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी। दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र की स्थापना किये जाने के लिये न्यूनतम रू0 01 लाख अथवा इसके गुणांक में एन0सी0डी0सी0 योजनान्तर्गत वित्त पोषण परियोजना निदेशक, डेरी द्वारा दुग्ध समिति के माध्यम से सेवा केन्द्र को किया जायेगा। वित्त पोषण की वापसी 10.55 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मूलधन सहित 08 वर्षों में समान मासिक किस्तों में की जायेगी, जिसकी प्रति रू0 एक लाख वित्त पोषित धनराशि पर मासिक किस्त लगभग रू0 2329.00 होगी। दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र के संचालन के लिये सेवा केन्द्र का 01 बैंक खाता पृथक से खोला जायेगा जिसका संचालन सम्बद्ध दुग्ध समिति के सचिव, केन्द्र प्रभारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से व दुग्ध समिति प्रभारी के प्रतिहस्ताक्षरों से किया जायेगा। दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र पर उपलब्ध सुविधाएं दुग्ध समिति के सदस्यों/सेवा केन्द्र से जुडे दुग्ध उत्पादकों कों उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये दुध के सापेक्ष प्राप्त होगीं। ऐसे दुग्ध उतपादक जिनके द्वारा सम्बद्ध दुग्ध समिति को दूध आपूर्ति नही किया जायेगा, को सुविधाएं नगद भुगतान पर प्राप्त होगी। दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र के संचालन के लिये सम्बद्ध दुग्ध सहकारी समिति द्वारा एक केन्द्र प्रभारी की नियुक्ति दुग्ध समिति द्वारा प्रस्ताव पारित कर की जायेगी, मानदेय के रूप में केन्द्र को प्राप्त लाभ का 40 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा तथा शेष 60 प्रतिशत से केन्द्र के विभिन्न व्यय उपरान्त अवशेष धनराशि सेवा केन्द्र के बैंक खाते में रक्षित रहेगी, जिसका उपयोग कार्यशील पूॅजी के रूप में किया जायेगा।
प्रस्ताव संख्या–........ दुग्ध समिति............................ ....से सम्बद्ध आंचल दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र ....की स्थापना पर विचार।	बैठक में उपस्थित प्रबन्ध कमेटी सदस्यों द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त एन0सी0डी0सी0 योजनान्तर्गत दुग्ध समिति.............................से सम्बद्ध एक आंचल दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र .... की स्थापना का निर्णय सर्वसम्मति से किया गया तथा प्रबन्ध कमेटी परियोजना निदेशक, डेरी को दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र हेतु निर्धारित नियमावली के अनुपालन किये जाने का वचन प्रदान करती है।
प्रस्ताव संख्या–........ आंचल दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र	सर्वसम्मति से श्री..पुत्र श्री.................................... ....सदस्य दुग्ध समिति....................................सदस्य संख्या–............... ....को दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र का प्रभारी नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

...... के संचालन हेतु केन्द्र प्रभारी की नियुक्ति पर विचार– प्रस्ताव संख्या–........ आंचल दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र .... की स्थापना हेतु ऋण धनराशि की मांग एवं निर्धारित मासिक किस्त की कटौती किये जाने का अधिकार दिये जाने पर पर विचार–	–दुग्ध सहकारी समिति.., प्रधान प्रबन्धक दुग्ध संघ.. से अनुरोध करती है कि दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्र .... की स्थापना हेतु परियोजना निदेशक, डेरी से रू0...का ऋण स्वीकृत स्वीकृत कराने का कष्ट करें। साथ ही स्वीकृत ऋण के सापेक्ष निर्धारित मासिक किस्त दुग्ध समिति के दुग्ध बिल से कटौती कर परियोजना निदेशक, डेरी कार्यालय को उपलब्ध कराने का अधिकार प्रबन्धक दुग्ध संघ को प्रदान किया जाता है।

हस्ताक्षर व मुहर
अध्यक्ष दुग्ध सहकारी समिति ....

हस्ताक्षर व मुहर
सचिव दुग्ध सहकारी समिति ...

सत्य प्रतिलिति प्रमाणित

हस्ताक्षर व मुहर
पर्यवेक्षक दुग्ध सहकारी समिति ....

हस्ताक्षर व मुहर
प्रभारी पी0एण्ड0आई0/मार्ग प्रभारी, दुग्ध संघ........